

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं:-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/129/378893/0017/10

दिनांक: ई-साइन अनुसार

प्रति,

वन महानिरीक्षक, (एफ.सी.)  
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,  
जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- जिला बडवानी एवं जिला खरगोन अंतर्गत सोनखेडी तालाब योजना के निर्माण हेतु 49.320 हेक्टेयर (वनमंडल सेंधवा की 34.450 हे0 एवं वनमंडल खरगोन की 14.870 हे) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/155614/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 10.06.2025

--00--

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गयी निम्न बिन्दुओं का उत्तर वनमंडलाधिकारी, सेंधवा से प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत है:-

क्रं	प्रकरण में ली गयी आपत्तियां	आपत्तियों का उत्तर
1	The State Government shall furnish a comprehensive report indicating the impact of the proposed project on downstream flow of water.	इस संबंध में वनमंडलाधिकारी, सेंधवा ने अवगत कराया है, कि प्रस्तावित सोनखेडी तालाब परियोजना एक लघु सिंचाई योजना है, जिसमें 25.03 वर्ग किमी. जल संग्रहण प्रस्तावित है। जबकि मध्य प्रदेश की सीमा में वरला तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 721 वर्ग किमी. है, प्रस्तावित योजना द्वारा जल संग्रहण किया जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र मात्र 3.47 प्रतिशत है। उक्त योजना से शत-प्रतिशत आदिवासी बहुल क्षेत्र जो पूर्णतः सूखा प्रभावित एवं पूर्णतः असिंचित है, में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी। उक्त परियोजना के निर्माण से 03 ग्रामों के 535 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। योजना से प्रभावित होने वनभूमि का क्षेत्र 0.4932 वर्ग किमी. है, जो तहसील वरला के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.07% है, जिससे इस वन क्षेत्र में पशु-पक्षियों, अन्य वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण पर नगण्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के निर्माण से 3.41 मि.घ.मी. जीवित जलभराव प्रस्तावित है। तथा उपरोक्त नाले के डाउनस्ट्रीम में लगभग 10 किलोमीटर तक जल भराव हो सकेगा। वर्षा ऋतु के बाद भी बाँध से न्यूनतम रिसाव होने के कारण नाले में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम में पशु-पक्षियों, अन्य वन्य प्राणियों तथा सिंचाई हेतु जल सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त आस-पास के 5-7 कि.मी. के दायरे में भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे कुएँ तथा अन्य छोटे प्राकृतिक जल स्रोतों में गर्मियों में भी पानी रहेगा।
2	The proposed diversion of forest land is located within a distance of 6.51 km from Yawal Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra. Therefore, the comments and clear recommendations of the Chief Wildlife Warden (CWLW), shall be submitted.	इस संबंध में वनमंडलाधिकारी, सेंधवा ने लेख किया है, कि प्रस्तावित परियोजना स्थल का अक्षांश 21°24'05.07" (21.40109) और देशांतर 75°29'22.81" (75.48937) है और यवल वन्यजीव अभयारण्य की परिधि अक्षांश 21°27'31.39" (21.4586111) और देशांतर 75°39'50.30" (75.663888) है, जिसकी न्यूनतम हवाई दूरी 19.35 किमी है। अतः यह मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक (CWLW) की टिप्पणी एवं अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होने की अनुशंसा की जाती है।
3	The proposed project is located within	इस संबंध में वनमंडलाधिकारी, सेंधवा ने लेख किया है, कि

	<p>0.50 km of the inter-state boundary with Maharashtra, and a portion of the canal alignment lies in close proximity to this border. In view of the possible downstream and inter-state implications of the project, the State Government shall obtain and submit the "No Objection Certificate" from the Government of Maharashtra.</p>	<p>परियोजना का मुख्य बांध स्थल महाराष्ट्र राज्य की सीमा से 1.80 किलोमीटर तथा नहर का अंतिम छोर महाराष्ट्र राज्य की सीमा में न होकर सीमा से 0.50 किलोमीटर दूर है। परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र राज्य की सीमा से गुजरने वाली अनेर नदी पर नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा पर अनेर नदी का जलग्रहण क्षेत्र 968.084 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रस्तावित योजना मध्यप्रदेश के एक छोटे नाले पर प्रस्तावित है। इस परियोजना से बांध स्थल पर 25.03 वर्ग किलोमीटर पानी रोकने का प्रस्ताव है, जिससे महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा पर अनेर नदी के जलग्रहण क्षेत्र का मात्र 2.59 प्रतिशत है। जिसके कारण बांध निर्माण से अनेर नदी के जल प्रवाह पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की सीमा से लगी अनेर नदी पर मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जल रोकने संबंधी कोई सिंचाई योजना का निर्माण/प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है।</p>
4	<p>The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects wrt the safety of the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions.</p>	<p>आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के उपसंभागीय कार्यालय से योजना निर्माण हेतु स्थल का चयन किया जाकर तकनीकी परीक्षण, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय के विभागीय उच्चतम तकनीकी वरिष्ठों द्वारा मूलभूत, आधारभूत, सैद्धांतिक एवं योजना की आवश्यकता को (अजजा विधानसभा क्षेत्र 187-संधवा के शत प्रतिशत गरीब आदिवासी अल्प भूमि धारकों की पूर्णतः असिंचित / पूर्ण रूप से सुखा ग्रस्त मात्र वर्षाकाल की कृषि उपज पर निर्भर कृषकों हेतु) दृष्टिगत रखते हुए साध्यता स्वीकृति प्राप्त की जाकर डीपीआर उपसंभागीय कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण उपरांत समस्त तकनीकी पहलूओं की जांच उपरांत तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री मण्डल खरगोन द्वारा दी जाकर मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल में संपूर्ण तकनीकी एवं सैद्धांतिक पहलूओं का पूर्ण परीक्षण किया जाकर जल संसाधन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः State Dam Safety Organisation की पृथक से recommendations की आवश्यकता नहीं हैं।</p>
5	<p>Further, the State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State Dam Safety Organisation (SDSO) and submit the same.</p>	<p>आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के उपसंभागीय कार्यालय से योजना निर्माण हेतु स्थल का चयन किया जाकर तकनीकी परीक्षण, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय के विभागीय उच्चतम तकनीकी वरिष्ठों द्वारा मूलभूत, आधारभूत, सैद्धांतिक एवं योजना की आवश्यकता को (अजजा विधानसभा क्षेत्र 187-संधवा के शत प्रतिशत गरीब आदिवासी अल्प भूमि धारकों की पूर्णतः असिंचित / पूर्ण रूप से सुखा ग्रस्त मात्र वर्षाकाल की कृषि उपज पर निर्भर कृषकों हेतु) दृष्टिगत रखते हुए साध्यता स्वीकृति प्राप्त की जाकर डीपीआर उपसंभागीय कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण उपरांत समस्त तकनीकी पहलूओं की जांच उपरांत तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री मण्डल खरगोन द्वारा दी जाकर मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल में संपूर्ण तकनीकी एवं सैद्धांतिक पहलूओं का पूर्ण परीक्षण किया जाकर जल संसाधन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः State Dam Safety Organisation की पृथक से recommendations की आवश्यकता नहीं हैं।</p>

6	The details about the command area, irrigation potential, present cropping pattern, total population of the villages to be benefitted and the likely impact of the project on cropping pattern in future is essential for evaluating the socio-economic benefits of the project. The State shall submit a detailed report on these aspects.	इस संबंध में वनमंडलाधिकारी, सेंधवा ने लेख किया है, कि यह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या बी-3362 में सम्मिलित है। इस योजना से 4 गाँवों सोनखड़ी, बिलवा, पनहाली और नाहलबंद के लगभग 310 कृषकों को लाभ मिलेगा। इस योजना में 550 मीटर लम्बा, 26.46 मीटर ऊँचा मिट्टी का बाँध और 6.80 किमी लम्बी मुख्य नहर तथा 2.19 किमी लम्बी 3 उपनहरों का निर्माण प्रस्तावित है। योजना की जीवित जल भराव क्षमता 3.410 मि.घ.मी. है तथा सिंचाई क्षमता 535 हेक्टेयर प्रस्तावित है। प्रस्तावित संरचना स्थल के डूब क्षेत्र में कोई बहुत बड़े व पुराने वृक्ष नहीं हैं, न ही डूब क्षेत्र में पर्यावरण के प्रदूषित होने या नष्ट होने जैसे कोई खतरा है एवं न ही पशु-पक्षियों के पूर्ण विलुप्त होने जैसा कोई खतरा है।
---	---	---

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by  
Hari Shankar Mohanta  
Date: 10-07-2025  
17:40:34

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश
2. वनमंडलाधिकारी, (साO) वनमण्डल खरगोन/सेधवा/बडवानी, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बडवानी, जिला बडवानी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



**कायलिय वनमण्डलाधिकारी, सेंधवा (सा) वनमण्डल, सेंधवा**  
**जिला - बड़वानी (म.प्र.)**

Tel & Fax (o) 07281-228408 (Pin code- 451666)

Email - dfotsndwa@mp.gov.in

क्रमांक / तकनीकी / 2025 / 2309

सेंधवा, दिनांक 16/06/2025

प्रति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
सी.-ब्लॉक, द्वितीय तल लिंक रोड नं.-2 तुलसी नगर,  
भोपाल

विषय:- जिला बड़वानी एवं जिला खरगोन अंतर्गत सोनखेड़ी तालाब योजना के निर्माण हेतु 49.320 हेक्टर (वनमंडल सेंधवा की 34.450 हेक्टर एवं वनमंडल खरगोन की 14.870 हेक्टर) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने वावत्।

(FP/MP/IRRIG/155614/2022)

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-3/129/378893/0017/10 दिनांक 11.06.2025।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला- बड़वानी का पत्र क्रमांक/2250/कार्य /सोनखेड़ी/वन प्रकरण/2025 दिनांक 16.06.2025।

—000—

संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित योजना के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी आवेदक विभाग द्वारा तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसका बिन्दुवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1	The State Government shall furnish a comprehensive report indicating the impact of the proposed project on downstream flow of water.	The proposed Sonkhadi Tank Project is a minor irrigation scheme, which is proposed to store water of 25.03 sq. km., whereas the total geographical area of Varla tehsil within the boundary of Madhya Pradesh is 721 sq. km., whereas the geographical area where water is to be stored by the proposed scheme is only 3.47 percent. 100 percent tribal dominated areas which are completely drought affected and completely non-irrigated will be irrigated by the said scheme. Irrigation of 535 hectares of 03 villages is proposed by the construction of the above project.  The area of forest submergence proposed to be affected by the scheme is 0.4932 sq. km., which is 0.07% of the geographical area of Tehsil Varla, which will have negligible adverse effect on animals, birds, other wild animals and environment in this forest area. With the construction of this project, 3.41 MCM of live storage proposed. By the storage of 3.41 MCM water will be filled in the Upstream of the drain and hance downstream of the above drain for about 10 km. Even after the rainy season, water flow will remain in the drain throughout the year due to minimum seepage from the dam, which will provide water facility for animals, birds, other wild animals and irrigation in the downstream. Apart from this, the ground water level will increase in the surrounding 5-7 km radius, due to which wells and other small natural water sources will remain alive even in summer.
---	--	---

16/06/2025 (6/16/2025 4:46:10 PM)

Draughtsman 2025-26

2	The proposed diversion of forest land is located within a distance of 6.51 km from Yawal Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra. Therefore, the comments and clear recommendations of the Chief Wildlife Warden (CWLW), shall be submitted.	The proposed project site has latitude 21°24'05.07" (21.40109) and longitude 75°29'22.81" (75.48937) and the perimeter of Yawal Wildlife Sanctuary is latitude 21°27'31.39" (21.4586111) and longitude 75°39'50.30" (75.663888) with minimum aerial distance of 19.35 km. Hence, it is recommended that there is no need for Chief Wildlife Warden (CWLW) for the project.
3	The proposed project is located within 0.50 km of the Inter-state boundary with Maharashtra, and a portion of the canal alignment lies in close proximity to this border. In view of the possible downstream and inter-state implications of the project, the State Government shall obtain and submit the "No Objection Certificate" from the Government of Maharashtra.	The main dam site of the project is 1.80 km from the border of Maharashtra state and the last end of the canal is not in the border of Maharashtra state but is 0.50 km from the border. The project is not being constructed on the Aner river which passes through the border of Maharashtra state. The catchment area of Aner river on the Maharashtra-Madhya Pradesh border is 968.084 sq. km., whereas the proposed irrigation scheme, which is on a small drain in Madhya Pradesh, is proposed to stop the water of 25.03 sq. km. at the dam site, which is only 2.59 percent of the catchment area of Aner river on the Maharashtra-Madhya Pradesh border, due to which the construction of the dam will have negligible effect on the water flow of Aner river. Apart from this, no water stopping irrigation scheme has been constructed/proposed by the Madhya Pradesh Government Water Resources Department on the Aner river bordering Maharashtra.
4	The user agency shall furnish a report from the State Dam Safety Organisation (SDSO) regarding all technical aspects wrt the safety of the dam. The recommendations shall be implemented by the user agency to avoid any possible unforeseen conditions.	The site for the construction of the scheme was selected by the sub-divisional office of the Madhya Pradesh Government Water Resources Department and technical examination was done by the highest technical seniors of the Madhya Pradesh Government Water Resources Department and the Chief Engineer's Office, keeping in view the basic, fundamental, theoretical and planning requirements (for 100% poor tribal small land holders of ST Assembly constituency 187-Sendhwa, completely unirrigated/completely drought-affected farmers dependent only on rainy season agricultural produce). Feasibility approval was obtained and after survey by the DPR sub-divisional office, after examining all technical aspects, technical approval was given by the Superintending Engineer, Circle, Khargone and after fully examining all technical and theoretical aspects by Chief Engineer, Narmada Tapi Basin, Indore and Engineer in Chief, Office Bhopal, administrative approval was issued by the Water Resources Ministry, Vallabh Bhawan Bhopal. Hence, there is no need for a separate approval of the State Dam Safety Organisation (SDSO).
5	Further, the State Government shall obtain approval of the National Dam Safety Authority (NDSA) on the recommendations made by the State Dam Safety Organisation (SDSO) and submit the same.	The site for the construction of the scheme was selected by the sub-divisional office of the Madhya Pradesh Government Water Resources Department and technical examination was done by the highest technical seniors of the Madhya Pradesh Government Water Resources Department and the Chief Engineer's Office, keeping in view the basic, fundamental, theoretical and planning requirements (for 100% poor tribal small land holders of ST Assembly constituency 187-Sendhwa, completely unirrigated/completely drought-affected farmers dependent only on rainy season agricultural produce). Feasibility approval was obtained and after survey by the DPR sub-divisional office, after examining all technical aspects, technical approval was given by the Superintending Engineer, Circle, Khargone and after fully examining all technical and theoretical aspects by Chief Engineer, Narmada Tapi Basin, Indore and Engineer in Chief, Office Bhopal, administrative approval was issued by the Water Resources Ministry, Vallabh Bhawan Bhopal. Hence, there is no need for a separate approval of the National Dam Safety Authority (NDSA).

6	<p>The details about the command area, irrigation potential, present cropping pattern, total population of the villages to be benefitted and the likely impact of the project on cropping pattern in future is essential for evaluating the socio-economic benefits of the project. The State shall submit a detailed report on these aspects.</p>	<p>The scheme is included in the announcement number B-3362 of the Hon'ble Chief Minister. The scheme will benefit about 310 farmers in 4 villages namely Sonkhadi, Bilwa, Panhali and Nahalband. The scheme proposes to construct a 550 meter long, 26.46 meter high earthen dam and a 6.80 km long main canal and 2.19 km long 03 sub canals. The live water filling capacity of the scheme is 3.410 MCM and the proposed irrigation capacity is 535 hectares.</p> <p>There are no very big and old trees in the submerged area at the proposed structure site, nor is there any danger of the environment getting polluted or destroyed like complete destruction or extinction of animals and birds in the submerged area.</p>
---	--	--

अतः निवेदन है कि प्रकरण में प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सही -

(आई.एस.गाडरिया)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल सेंधवा (सामान्य)

सेंधवा, दिनांक/16/06/2025

पृ.क्र./तकनीकी/2025/2310

प्रतिलिपि- ✓ 1. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा एवं

2. वनमंडलाधिकारी, खरगोन/बड़वानी एवं

3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला- बड़वानी

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

28

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल सेंधवा (सामान्य)